स्पीड पोस्ट द्वारा

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोक नायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली–110003
6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003

सं0 एसओ/3/2012/एसटीजीजेएच/एसईओटीएच/आर.यू.-III

Dated 18-10-2012

सेवा में,

1. सचिव,
   स्वास्थ्य विभाग
   झारखण्ड सरकार,
   राँची (झारखण्ड)

2. सचिव,
   वित्त विभाग,
   झारखण्ड सरकार,
   राँची (झारखण्ड)

विषय: **अनुसूचित जनजाति वर्ग के डॉक्टरों को वर्ष 2000 से अवरूद्ध वेतनवृद्धि लागू करने के पश्चात् पूर्व लक्षित वेतन वृद्धि जोड़कर लाभ देने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक डॉ0 एस0 उरांव एवं अन्य, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वरीय चिकित्सा पदाधिकारीगण, स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण स्वास्थ्य विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा आयोग को प्रस्तुत संयुक्त अभ्यावेदन दिनांक 13/10/2012 की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न करने का निदेश हुआ है।

अभ्यावेदन के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त डॉक्टरों को वर्ष 1997 से वर्ष 2000 तक नियमित वेतनवृद्धि महालेखाकार, झारखण्ड द्वारा दी जाती रही परन्तु वर्ष 2000 के बाद से वेतनवृद्धि अवरूद्ध कर दी गयी है। डॉक्टरों द्वारा जब महालेखाकार कार्यालय में जाकर पता किया तो बताया गया कि जो वरीय चिकित्सा पदाधिकारी विभिन्न आवश्यकता आधारित उच्चतर चिन्हित पदों पर पूर्व से पदस्थापित थे उनका वेतन का संसूचन अलग स्वास्थ्य वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद वेतनवृद्धि मिलेगी। ऐसी स्थिति से जूनियर चिकित्सा पदाधिकारियों का वेतन अनुसूचित जनजाति वर्ग के वरीय चिकित्सा पदाधिकारियों के वेतन से अधिक हो गया है जिससे वेतन विसंगति उत्पन्न हो गयी है।

उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए डा0 रामेश्वर उरांव माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग प्रकरण पर चर्चा हेतु दिनांक 20-11-2012 समय दोपहर 12.00 बजे आपकी उपस्थिति निश्चित की है।

अतः अनुरोध है कि मामले से संबंधित समस्त दस्तावेजों सहित उक्त तिथि को चर्चा हेतु आयोग में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने का कष्ट करें।

4832-34
18/10/12

भवदीय,

(के.डी. बन्सौर)
उप निदेशक

प्रतिलिपि:

1. डॉ0 एस. उरांव, डॉ0 (श्रीमती) रागिनी मिंज, अधीक्षक संक्रामक रोग अस्पताल, पूर्वी जेल रोड, रांची (झारखण्ड)।

(के.डी. बन्सौर)
उप निदेशक

प्रति: (i) PS To Ch, NCST, (iii) SSA(NIC)
(ii) PPS To JS,

O/C